न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 14/2018
दायर दिनांकः 18.07.2018
निर्णय दिनांक 10.12.2024

–: अनवान :–

1. श्री अम्बालाल पिता टेका जी बलाई उम्र 60 वर्ष
2. श्री रोडीलाल उर्फ रोडू पिता टेका जाति बलाई उम्र 55 वर्ष
3. श्री उदा जी पिता रामाजी बलाई उम्र 52 वर्ष
4. श्री सोहनी बेवा पिता रामा जी बलाई उम्र 50 वर्ष
5. श्री हजारी पिता नारायण जी बलाई उम्र 65 वर्ष

सभी निवासियान मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

बनाम

1. श्रीमान उप तहसीलदार महोदय सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. श्री गोपु पिता तलोक जी बलाई उम्र वयस्क
3. श्री नाथू पिता तलोक जी बलाई उम्र वयस्क
4. श्री भग्गा पिता चेना जी बलाई उम्र पयस्क
5. श्री श्यामलाल पिता चेना जी बलाई उम्र वयस्क
6. श्री प्रभु पिता चेना जी बलाई उम्र वयस्क
7. श्री केशु पिता चेना जी बलाई उम्र वयस्क
8. श्री नन्दा पिता चेना जी बलाई उस वयस्क
9. स्वर्गीय शंकरलाल पिता तलोक जी बलाई उम्र वयस्क

   विधिक वारीसान
   1. मंजू पत्नी नान जी सालवी उम्र वयस्क
   2. अमरी पत्नी गणेश जी सालवी उम्र वयस्क
   3. सुरेश पिता शंकरलाल जी उम्र वयस्क

   सभी निवासियान मुरड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
10. श्री रतन पित्ता हरिराम जी सालवी उम्र वयस्क
11. श्रीमती घीसी पिता हरिराम जी सालयी उम्र वयस्क
12. श्री ज्ञानी पुत्री हरिराम जी सालवी उम्र वयस्क
13. श्रीमती नाथी पुत्री हरिराम जी सालवी उम्र वयस्क
14. श्रीमती चान्दी पुत्री हरिराम जी सालवी उम्र वयस्क

    सभी निवासियान सालेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
15. श्रीमती कंकू पत्नी लोभचन्द सालवी उम्र वयस्क
16. श्रीमती केशी पत्नी किशोर जी सालवी उम्र वयस्क

    निवासियान झाडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट
18. पटवारी हल्का पटवार मंडल झौर तहसील आमेट जिला राजसमन्द
19. उप पंजीयक महोदय लावा सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट नामान्तरण संख्या 1155 आदेश दिनांक 29.06.2016</u>

उपस्थितः–

1– श्री गिरीश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री रतन लाल रावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 16
3– श्री देवेन्द्र टाँक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 तथा 09 के विधिक वारिसान की ओर से अनुपस्थित
4– श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 17 से 19

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट नामान्तरण संख्या 1155 आदेश दिनांक 29.06.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 1155 फैसल दिनांक 29.06.2016 को स्वीकृत करने में भारी कानूनी व विधिक तथ्यों की भूल की है। ग्राम मुरडा पटवार हल्का मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1552 रकबा 0.0900 हैक्टर, 1553 रकबा 0.3300 हैक्टर, आराजी नम्बर 1554 रकबा 0.5000 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि स्व० किशना पिता मियाराम बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के नाम राजस्व भूमि में दर्ज हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि स्व0 किशना पिता मियाराम ने स्व0 कालु पिता गुमाना बलाई निवासी मुरडा को सवंत 2009 में विक्रय कर दी। स्व0 कालु पिता गुमाना वादीगण के दादा जी थे जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है –

कालु पिता गुमाना
- भैरा
  - भगा, श्यामु, प्रभु, केशु, नन्दा
- टेका
  - रामा, अम्बालाल, रोडू
    - उदा, मोहनी बेवा
- नारायण
  - हजारी
- तलोक
  - शंकर, गोपू, नाथू

न्यायालय जिला कलक्टर

स्व0 किशना पिता मियाराम बलाई ने दिनांक 24.9.1952 को जब कि राजस्थान काश्तकारी कानून अधिनियम 1955 प्रभाव में नही आया था उससे पूर्व 1/– एक रूपये के स्टाम्प पर अपनी वृद्धावस्था होने से तथा स्वास्थ्य ठीक नही होने से एवं संतान नही होने की वजह से कोई सेवा चाकरी करने वाला नहीं हैं, बताते हुए स्व0 हरीराम पिता सौला जी जाति बलाई गोत्र रेणवाल निवासी सारेला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा को स्टाम्प पर दिनांक 24.9.1952 को लिखकर दिया की वही सेवा चाकरी करता हैं, और सेवा की एवज में 4 बीघा जमीन जो किशना जी के खाते हैं वह किशना जी के मरने के बाद हरीराम की रहेगी, लिख कर दिया था जिस पर किशना जी के अंगुठा निशान हैं। लिखापढी दिनांक 24.9.1952 को करने के पश्चात् स्व0 किशना जी ने एवं हरिराम जी ने रूपयों की आवश्यकता होने की वजह से हम अपीलार्थी के दादा जी स्व० कालु पिता गुमाना जी को उक्त कृषि भूमि 40/– रूपये में विक्रय कर दी तथा मूल स्टाम्प 1/– एक रूपये का जो दिनांक 24.9.1952 को किशना जी ने हरिराम के पक्ष में सेवा के पेटे भूमि देने का वसीयत के रूप में तहरीर करवाया था उसी स्टाम्प पर मांगीलाल वैरागी ने लिखतम करवा कर रूपये प्राप्त कर भूमि वादीगण के दादा जी को विक्रय कर दी और लिखापढी के अनुसार किशना जी व हरीराम जी ने भूमि विक्रय कर हरिराम के अंगुष्ट निशानी मूल स्टाम्प पर अंकित की। स्व0 कालु पिता गुमाना के चार लडके हुए जिनका वर्णन सजरे में किया हुआ हैं, जो भैरा, टेका, नारायण व तलोक हुए। वाद ग्रस्त भूमि पर सवंत 2009 से ही अपीलार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारी का उपयोग उपभोग आधिपत्य चला आ रहा हैं तथा भूमि पर कब्जा भी मुखालफाना होकर परिपक्व हो चुका है। करीब 60 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलार्थी व उनके पूर्वाधिकारी आराजी संख्या 1552, 1553, 1554 पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं तथा खा कमा रहे हैं। किशना जी के परिवार में कोई भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्ताराधिकारी मौजुद नहीं हैं। किसी ने कभी एतराज नहीं किया, अपीलार्थी के उनके दादाजी के पक्ष में किये गये विक्रय के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार एडवर्स पजेशन कब्जा मुखालफाना भी परिपक्व हो चुका हैं, तथा किशना जी का सवंत 2010 में निधन हो गया तब से लेकर आज दिन तक किसी प्रकार की बाधा व रूकावट अपीलार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारियों को नहीं हुई व विकय पत्र व एडवर्स पजेशन के आधार पर जो अधिकार किशना जी को प्राप्त थे वह अब अपीलार्थी को प्राप्त हैं, दिनांक 6 जुलाई 2015 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमाया गया। उक्त निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2015 की पालना हेतू न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा पालना पत्र जारी किया गया, जो उपतहसीलदार सरदारगढ के मार्फत पटवारी हल्का तक पहुचा किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को कहा गया कि उप तहसीलदार का निर्देश प्राप्त होने पर ही मामले में पालना करूगां। लेकिन उपतहसीलदार द्वारा न्यायालय के निर्णय की पालना बिना किसी आदेश रूकवा दी तथा अपीलांट द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उपतहसीलदार सरदारगढ ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए रेस्पोडेंट रतनलाल नाम के व्यक्ति को मामले में किशना जी का वारिस बता कर न्यायालय के आदेश की पालना रूकवाने की कोशिश करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) व आदेश 47 रूल 1 व 114 जा.दी. के तहत रिव्यु का 12.08.2013 को प्रस्तुत करवा दिनांक 14.08. 2015 को न्यायालय से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई तक निर्णय की पालना को स्थगित करवा दिया, तब से रिव्यु का

न्यायालय जिला कलेक्टर

प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट के समक्ष दिनांक 06.06.2018 तक विचाराधीन रहा। रेस्पोडेंट रतनलाल द्वारा प्रस्ततु उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट द्वारा 276/2015 निर्णय दिनांक 06.06.2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया तब अपीलांट द्वारा पूर्व के वाद के निर्णय की पालना हेतू पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया और पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ की अपीलांट के हक अधिकार की भूमियों का नामान्तरण संख्या 1155 को दिंनाक 29.06.2016 को ही उपतहसीलदार सरदारगढ़ ने रतनलाल व अन्य रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में स्वीकृत कर दिया है उक्त नामान्तरण फैसल करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण सं. 1155 फैसल दिनांक 29.06.2016 को निरस्त कर भूमि मुताबिक न्यायालय डिकी अपीलांट्स के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कराये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01,17,18,19 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 व 09 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र टाँक तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री रतन लाल रावत ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 1155 फैसल दिनांक 29.06. 2016 को स्वीकृत करने में भारी कानूनी व विधिक तथ्यों की भूल की है। ग्राम मुरडा पटवार हल्का मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1552 रकबा 0. 0900 हैक्टर, 1553 रकबा 0.3300 हैक्टर, आराजी नम्बर 1554 रकबा 0.5000 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि स्व0 किशना पिता मियाराम बलाई निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के नाम राजस्व भूमि में दर्ज हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि स्व0 किशना पिता मियाराम ने स्व0 कालु पिता गुमाना बलाई निवासी मुरडा को सवंत 2009 में विक्रय कर दी। वादग्रस्त भूमि पर सवंत 2009 से ही अपीलार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारी का उपयोग उपभोग आधिपत्य चला आ रहा हैं तथा भूमि पर कब्जा भी मुखालफाना होकर परिपक्व हो चुका है। करीब 60 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलार्थी व उनके पूर्वाधिकारी आराजी संख्या 1552, 1553, 1554 पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं तथा खा कमा रहे हैं। तथा किशना जी का सवंत 2010 में निधन हो गया तब से लेकर आज दिन तक किसी प्रकार की बाधा व रूकावट अपीलार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारियों को नहीं हुई व विकय पत्र व एडवर्स पजेशन के आधार पर जो अधिकार किशना जी को प्राप्त थे वह अब अपीलार्थी को प्राप्त हैं, दिनांक 6 जुलाई 2015 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमाया गया। उक्त निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2015 की पालना हेतू न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा पालना पत्र जारी किया गया, जो उपतहसीलदार सरदारगढ के मार्फत पटवारी हल्का तक पहुचा किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को कहा गया कि उप तहसीलदार का

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्देश प्राप्त होने पर ही मामले में पालना करूगां। लेकिन उपतहसीलदार द्वारा न्यायालय के निर्णय की पालना बिना किसी आदेश रूकवा दी तथा अपीलांट द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उपतहसीलदार सरदारगढ ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए रेस्पोडेंट रतनलाल नाम के व्यक्ति को मामले में किशना जी का वारिस बता कर न्यायालय के आदेश की पालना रूकवाने की कोशिश करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) व आदेश 47 रूल 1 व 114 जा.दी. के तहत रिव्यु का 12.08.2013 को प्रस्तुत करवा दिनांक 14.08. 2015 को न्यायालय से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई तक निर्णय की पालना को स्थगित करवा दिया, तब से रिव्यु का प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट के समक्ष दिनांक 06.06.2018 तक विचाराधीन रहा। रेस्पोडेंट रतनलाल द्वारा प्रस्तु उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट द्वारा 276/2015 निर्णय दिनांक 06.06. 2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया तब अपीलांट द्वारा पूर्व के वाद के निर्णय की पालना हेतू पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया और पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ की अपीलांट के हक अधिकार की भूमियों का नामान्तरण संख्या 1155 को दिंनाक 29.06. 2016 को ही उपतहसीलदार सरदारगढ़ ने रतनलाल व अन्य रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में स्वीकृत कर दिया है उक्त नामान्तरण फैसल करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 16 ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। रतनलाल के पक्ष में खोला गया नामान्तरण पूर्ण व सही जॉच करके खोला गया। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि राजस्व ग्राम मुरडा पटवार हल्का मुरडा तहसील आमेट में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमियां कुल किता–3 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 1155 निर्णय दिनांक 29.06.2016 विरासत से स्व0 किशना पिता मियाराम बलाई के बजाय नामान्तरण अनुसार स्व0 किशना के वारिसान के नाम दर्ज की गई। उक्त नामान्तरण में खातेदार स्व. किशना के लाऔलाद फौत होने पर उसकी बहिन के पुत्र हरिराम के वारिसान तथा बहिन की पुत्री कंकु एवं केशु के नाम विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया। नामान्तरणकरण दिनांक 29.06.2016 को पटवारी द्वारा भरा गया, दिनांक 29.06.2016 को ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा इसकी जांच की गयी तथा दिनांक 29.06.2016 को ही उपतहसीलदार द्वारा इसे स्वीकृत किया गया अर्थात् समस्त प्रक्रिया एक ही दिन में पूर्ण की गयी। किशना की मृत्यु कब हुई, उसके मृत्यु प्रमाण–पत्र व सरपंच का सजरा नामान्तरण के साथ चस्पा होने का उल्लेख किया गया परन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट में एक वाद संख्या 25/2013 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर

08.03.2013 को श्री अम्बालाल, रोड़ीलाल, उदा, सोहनी तथा हजारी(वर्तमान नामान्तरण अपील के अपीलान्ट) ने शंकरलाल व अन्य के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर किया। उक्त वाद में तहसीलदार आमेट भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये गये थे उक्त वाद में दिनांक 06.07.2015 को डिक्री ज़ारी करके वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था, उक्त वाद का रिव्यु प्रार्थना पत्र श्री रतनलाल(जो कि वर्तमान अपील में रेस्पोडेन्ट है), द्वारा दिनांक 21.08.2015 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट में दायर किया, उक्त वाद में दिनांक 14.08.2015 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये थे। अपीलाधीन नामान्तरण श्री रतनलाल व अन्य के पक्ष में दिनांक 29.06.2016 को स्वीकृत किया गया था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरण में उल्लेखित आराजीयात के बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट में धारा 88 में राजस्व वाद विचाराधीन था तथा अपीलाधीन नामान्तरण को वाद के निर्णय से पूर्व ही निर्णित कर दिया गया। इसकी सम्पूर्ण जानकारी स्वयं रेस्पोडेन्ट व तहसीलदार को थी चुंकि दोनों पक्षकार थे। रेस्पोडेन्ट रतनलाल द्वारा ही रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र में भी स्थगन होने की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट के निर्णय के उपरान्त भी विरासत का नामान्तरण खोला जाना, विरासत का नामान्तरण खोलने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं किये जाने, स्थगन होने के बावजूद नामान्तरण स्वीकृत किया जाना ये सभी तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1155 दिनांक 29.06.2016 में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि की है एवं नामान्रण अपास्त योग्य है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1155, दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सरदारगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा पारित निर्णय अनुसार विधि के परिपेक्ष्य में नामान्तरण कार्यवाही की जावें।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर